कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर (म.प्र.)

क्रमांक– क्यू–01 / 2022

मंदसौर, दिनांक 08.01.2022

परिपत्र

वर्तमान समय में कोविड–19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र ~~क्रमांक~~ – क्रमांक ए/136/2022 दिनांक 07.01.2022 के अनुसरण में न्यायिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते :–

निर्देश :–

1. **जब तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर द्वारा अन्यथा निर्देश न दिये जाये, इस जिला में कार्यरत सभी न्यायालयों के द्वारा उनके न्यायालय में संस्थित होने वाले एवं लंबित समस्त प्रकृति के प्रकरणों को सुनवायी में लिया जायेगा।**

2. प्रत्येक न्यायालय समस्त प्रकरणों में से सुनवायी हेतु पॉच वर्ष व उससे अधिक पुराने/विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरण/माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध प्रकरणों की सुनवायी एवं निराकरण को प्राथमिकता देंगे।

3. प्रत्येक न्यायालय में प्रत्येक दिवस में अधिकतम 20 प्रकरण कार्यवाही हेतु नियत किये जायेंगे, जिनमें तर्क/आदेश व निर्णय से संबंधित पॉच प्रकरण, साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने हेतु पॉच प्रकरण नियत किये जा सकेंगे।

4. प्रत्येक न्यायालय आगामी कार्यदिवस में नियत प्रकरणों की डेली कॉजलिस्ट एक दिन पूर्व न्यायालय के बाहर पटल पर चस्पा करेंगे एवं उस कॉजलिस्ट में उल्लेखित क्रमानुसार प्रकरणों की सुनवायी करेंगे। कॉजलिस्ट में कौन से प्रकरण दोपहर पूर्व एवं कौन से प्रकरण दोपहर पश्चात् सुनवायी हेतु लिये जायेंगे, यह भी दर्शाया जायेगा।

5. प्रत्येक न्यायालय जब तक कि उनके क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लॉकडाउन/कोरोना कर्फ़्यू लागू न किया गया हो या उसे कंटेनमेण्ट क्षेत्र घोषित न किया गया हो, तब तक रूल्स एवं आर्डर्स में उल्लेखित समयावधि अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

6. पक्षकारगण/साक्षीगण/अधिवक्तागण की उपस्थिति प्रत्येक न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका में दर्ज की जायेगी, परंतु कोविड–19 के संक्रमण के निवारणार्थ **आगामी आदेश तक आदेश पत्रिका/साक्ष्यपत्र (जब तक विधि द्वारा आवश्यक न हो) पर हस्ताक्षर नहीं कराये जायेंगे।**

7. प्रथम बार रिमाण्ड के दौरान अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति के अलावा अन्य नियत तिथियों पर रिमाण्ड हेतु अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनिश्चित की जायेगी।

8. समन की तामीली हेतु सामान्य तामीली प्रक्रिया के अतिरिक्त सभी न्यायाधीश समन की तामीली सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर 3.2 के मैसेज फीचर के माध्यम से भी करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

PTO

9. जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर न्यायालय के प्रवेश द्वार पर कोविड–19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सेनेटाईजेशन का उपयोग, मास्क पहनने और फिजीकल सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने तथा भीड़ एकत्र न होने देने जैसे सभी सुरक्षात्मक उपाय, जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों में दिये गये हैं, का यथासंभव अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. जिस भी अधिकारी/अधिवक्ता/ पक्षकार/ कर्मचारी को क्वेरेण्टाईन/आइसोलेट किया गया है, उस अवधि में उनका न्यायालय परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. न्यायालय परिसर में पान/गुटखा/तंबाकू/शराब सेवन एवं यत्र–तत्र थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार उसके विरूद्ध विधिक व दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

12. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता/पक्षकार/कर्मचारी न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में नाक एवं मुँह को ढंकने वाला मास्क या फेस कवर धारण किये रहेंगे। इस संबंध में **प्रधान जिला न्यायाधीश, मंदसौर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि व अध्यक्ष, अभिभाषक संघ** यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति फेस मास्क पहने बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें।

13. न्यायालय परिसर में प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों की थर्मल स्कैनर के जरिए स्क्रीनिंग नियुक्त कर्मचारीगण द्वारा अनिवार्यतः की जायेगी।

14. **यदि किसी व्यक्ति में बुखार या फ्लू या इसी तरह के अन्य लक्षण पाये जाते हैं, तो उसे कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।** यदि किसी कर्मचारी को बुखार अथवा सर्दी–खॉसी के लक्षण हैं तो वह अपने पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश कार्यालय को तत्काल इस संबंध में सूचित करेगा। संबंधित द्वारा ऐसा न किया जाना कदाचरण की श्रेणी में आयेगा।

15. **यदि किसी अधिवक्ता को बुखार अथवा सर्दी–खॉसी के लक्षण हैं तो वह अपने अभिभाषक संघ में इस बात की सूचना देते हुए अविलंब प्रधान जिला न्यायाधीश कार्यालय को भी सूचित करेंगे।**

16. यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय/कुटुंब न्यायालय की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्व ारा कर्फ्यू/लॉकडाउन/कंटेनमेण्ट एरिया घोषित हो जाने के कारण स्थगित हो जाती है तो संबंधित न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला न्यायाधीश कार्यालय को इस संबंध में सूचना प्रेषित करते हुए केवल अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवायी संपादित की जायेगी।

17. केवल उन्हीं पक्षकारगण और उनके अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जायेगा, जिनके प्रकरण उक्त दिनांक को किसी न्यायालय द्वारा नोटिफाईड अथवा लिस्टेड हैं।

18. भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन एवं फोटोकॉपी शॉप का संचालन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तद् हेतु निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए ही हो सकेगा, अन्यथा वे बंद कर दी जायेगी।

19. समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बाररूम/एडवोकेट चेंबर/बार लायब्रेरी खुली रहेगी एवं **अध्यक्ष अभिभाषक संघ** इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी सुरक्षा मानकों एवं सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जा रहा है एवं अध्यक्ष बाररूम में भीड़ एकत्र न हो, इसकी रोकथाम भी सुनिश्चित करेंगे।

20. न्यायालय कक्ष में केवल वही अधिवक्ता एवं पक्षकार उपस्थित हो सकेंगे, जिनका प्रकरण न्यायालय द्वारा सुनवायी में लिया जा रहा है। एक प्रकरण की सुनवायी के दौरान प्रत्येक पक्ष के केवल एक ही अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। शेष प्रकरणों के अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण न्यायालय कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मानकों का पालन करते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

21. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता/कर्मचारी/पक्षकार व अन्य संबंधित व्यक्ति न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। एक समय में एक स्थान पर पॉच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। न्यायालय कक्षों में यदि कक्ष मानक आकार का हो, तब एक समय में स्टाफ सहित कुल 10 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे तथा छोटे कक्षों में यह संख्या उससे भी कम होगी। न्यायालय के आकार के अनुसार पीठासीन अधिकारी उक्त व्यवस्था को स्वविवेक से सुनिश्चित करेंगे।

22. प्रत्येक न्यायालय प्रकरणों की सुनवायी **एक के बाद एक करेंगे** एवं प्रत्येक प्रकरण की सुनवायी के उपरांत सेनेटाईजेशन हेतु दो मिनिट का ब्रेक दिया जा सकेगा।

23. न्यायालय कक्ष में कर्मचारीगण के बैठने के लिए कुर्सियॉ तथा बैंच भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार रखी जायेगी।

24. सभी पीठासीन अधिकारी यथासंभव उनके न्यायालय के बाहर लगे डिस्प्ले बोर्ड को चालू हालत में रखना तथा उसमें कॉजलिस्ट दर्शाया जाना भरसक सुनिश्चित करेंगे।

25. अधिवक्ता/संबंधित पक्षकार द्वारा उनके आवेदनपत्र/याचिका पर अपना ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे, जिससे कि आवश्यकतानुसार उन्हें आवश्यक सूचना बिना किसी चूक के शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकें। इसके अपालन की स्थिति में अधिवक्ता/पक्षकार उन्हें नियत समय पर जानकारी न मिल पाने से संबंधित शिकायत नहीं कर सकेंगे।

26. अधिवक्तागण/पक्षकारगण मामले की सुनवायी के समय न्यायालय में अपने मामले से संबंधित फाईल लेकर ही उपस्थित होंगे। उन्हें सामान्यतः न्यायालय की फाईल उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी। प्रकरण की सुनवायी समाप्त होते ही वे तुरंत न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

27. न्यायालय परिसर में कोई उत्सव या ऐसा कोई भी आयोजन जिसके कारण भीड़ हो, अनुज्ञेय नहीं होगा।

PTO

....4

(4)

28. सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों तथा अधिवक्तागण के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका आना–जाना सीमित किया गया है, **इसलिए ऐसे व्यक्तियों से न्यायालय में भौतिक उपस्थिति से यथासंभव बचना एवं सावधानी बरतना प्रार्थनीय है। उनकी उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।**

29. कोविड–19 के प्रसार को रोकने/नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकारी एवं राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा।

30. यदि कोई अधिवक्ता /पक्षकार या न्यायिक कर्मचारी उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा तो इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए इस संबंध में म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद एवं संबंधित अधिवक्ता संघ को ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जायेगा। ऐसे अधिवक्ता/व्यक्ति के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही के परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ये निर्देश दिनांक 10.01.2022 से प्रभावशील होंगे।

उपरोक्त निर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अनीषकुमार मिश्रा)
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंदसौर म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक–92 लेखा/2022 मंदसौर, दिनांक 08.01.2022

प्रतिलिपि (इमेल/मैसेज द्वारा)

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)/समस्त न्यायाधीशगण/समस्त प्रभारी अधिकारी समस्त अनुविभाग जिला मुख्यालय मंदसौर, तहसील गरोठ, भानपुरा, नारायणगढ़ एवं सीतामउ
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर
4. कलेक्टर, जिला मंदसौर
5. पुलिस अधीक्षक, मंदसौर
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ मंदसौर/गरोठ/भानपुरा/नारायणगढ़/सीतामउ
7. निज सचिव, प्रधान जिला न्यायाधीश,
8. समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिला न्यायालय मंदसौर/गरोठ/भानपुरा/नारायणगढ़/सीतामउ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(अनीषकुमार मिश्रा)
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंदसौर म.प्र.